न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 49 / 2016

1. महेशचन्द्र पुत्र श्री बलभद्र प्रसाद जाति ब्राह्मण उम्र 57 निवासीगण ग्राम पचगांव तहसील व जिला धौलपुर ....वादी

बनाम

1. गीतादेवी पत्नी गंगाराम | समस्त जातिगण ब्राह्मण
2. योगेश पुत्र गंगाराम
3. निर्मला पुत्री गंगाराम
4. चरनदेवी पुत्री तोताराम
5. कमलेश पत्नी महावीर प्रसाद शर्मा
6. राम पुत्री रामदयाल
7. लक्ष्मीदेवी पत्नी कल्लाराम
8. मुन्नालाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद
9. राजेश्वरी पत्नी माताप्रसाद
10. जगतदेवी बेवा गीताराम
11. राकेश । पुत्रगण गीताराम
12. कुलदीप ।
13. ममता । पुत्रियां गीताराम
14. उषा ।
15. ओमप्रकाश । पुत्रगण हरीसिंह | समस्त जातिगण बघेला
16. मुन्नालाल ।
17. सुरेन्द्रसिंह ।
18. मुन्नीदेवी बेवा विजेन्द्रसिंह
19. अनीता । पुत्रीयां विजेन्द्रसिंह
20. रेनू ।
21. कृष्णमुरारी । पुत्रगण विजेन्द्र सिंह
22. पंकज ।
23. मोनू ।

समस्त निवासीगण ग्राम पचगांव तहसील व जिला धौलपुर............प्रतिवादीगण

24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

...................................प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट वास्ते
बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक 03.12.2024

वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 18.07.2016 को एक राजस्व वाद बाबत् न्यायालय में पेश किया। जो दिनांक 23.12.2019 को बाद तहकीकात दावा प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 409 दिनांक 19.06.2024 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार धौलपुर के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

वकील प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति पेश नहीं की है, उन्हें पर्याप्त समय दिया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 9 के अभिभाषक ने न्यायालय में उपस्थित आकर आपत्ति हेतु समय चाहा। वकील वादी ने कथन किया कि तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.06.2024 को प्राप्त हुए है, वकील प्रतिवादी संख्या 9 ने आज दिनांक तक ना तो कोई आपत्ति लिखित रूप से पेश की है, और ना ही कभी मौखिक रूप से जाहिर की है। पत्रावली का अवलोकन किया कि 3 माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी वकील प्रतिवादी आपत्ति हेतु समय चाहते है। आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर रहे है। दौराने बहस भी विभाजन प्रस्ताव में क्या आपत्ति है, जाहिर नहीं की है। आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु वकील प्रतिवादी को काफी समय दिया जा चुका है। प्रकरण काफी पुराना है, इसलिए वकील प्रतिवादी संख्या 11 का आपत्ति पेश करने का अवसर बंद किया जाता है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 2052 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा, 2053 रकवा 1 बीघा, 2051 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा, 2054 रकवा 19 विस्वा, 1522 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा, 1523 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा, 2125 रकवा 2 बीघा 5 विस्वा, बाकै ग्राम पचगांव तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
1. महेश चन्द्र पुत्र बलभद्र प्रसाद हिस्सा पूर्ण जाति ब्रा0 साकिन देह खातेदार	1522	0.5311 है0
2. राजेश्वरी पत्नी माताप्रसाद हिस्सा पूर्ण जाति ब्रा0 साहिन देह खातेदार	1523/1	0.3132 है0
3. लक्ष्मीदेवी पत्नी कल्लाराम हिस्सा पूर्ण जाति ब्रा0 साकिन देह खातेदार	2125/1	0.1875 है0
4. मुन्नालाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा पूर्ण जाति ब्रा0 साकिन देह खातेदार	2125/2	0.1530 है0
5. ओमप्रकाश, मुन्नालाल, सुरेन्द्रसिंह पुत्रान हरीसिंह हिस्सा बराबर 3/4, मुन्नीदेवी पत्नी विजेन्द्रसिंह, कृष्णमुरारी, पंकज, मोनू, पुत्रान व रेनू, सुनीता, पुत्रियान विजेन्द्रसिंह हिस्सा बराबर 1/4 जाति गडरिया साकिन देह खातेदार	2054	0.2403 है0
6. कमलेश पत्नी महावीरप्रसाद शर्मा1/2, नाबालिग वर्षा पुत्री अवधबिहारी संरक्षक सरपरस्त चरनदेवी हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार	1523/2 2125/3 2052/1 2053	0.1167 है0 0.2285 है0 0.2656 है0 0.2529 है0
7. चरनदेवी पुत्र तोताराम हि0 879/3287, रामा पुत्री रामदयाल हि0 250/3287, गीतादेवी पत्नी गंगाराम, योगेश पुत्र निर्मला पुत्री पिसरान गंगाराम हि0 ब0 1079/3287, जगतदेवी पत्नी गीताराम, कुलदीप, राकेश पुत्रान व उषा, ममता पुत्रियान पि0 गीताराम हि0 ब0 5395/19722, व रश्मि पत्नी बृजेश, नाबालिग कृष्णा पुत्र बृजेश सरक्षंक सरपरस्त मॉ खुद रश्मि हि.ब. 1079/19722 जाति ब्राह्मण सकिन देह खातेदार	2051 2052/2	0.3161 है0 0.0126 है0

सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
धौलपुर (राज0)

कुल किता 11 कुल रकवा 2.6175 हैक्टेयर बाकै ग्राम पचगांव तहसील व जिला धौलपुर कुल लगान 39.15 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान 39 रूपये 15 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 78 रूपये 30 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर, मु0
धौलपुर

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर (राज0)